राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उप जिला कलक्टर सैंपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – दीपक सिंह खटाना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 49/2022

1–सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी बसई नबाब तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

...............वादी

**बनाम**

1–रेखा त्यागी पत्नी पवन कुमार 2–प्रवीण कुमार पुत्र माधौसिंह जातिगण त्यागी निवासीगण बसई नबाब तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 3–ममता देवी पत्नी राजेश कुमार जाति त्यागी निवासी नगला हरलाल तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

...................... प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति – 1–श्री रामअवतार गौड़ एडवोकेट ...........(वादी)

**निर्णय** **दिनांक 29.09.2022**

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खाता संख्या 146 के खसरा नम्बर 3068, 7021/3071 कुल किता 2 कुल रकवा 0.2023 हैक्टेयर वाकेग्राम जागीरपुरा पटवार हल्का बसई नबाब–बी, खाता संख्या 143 के खसरा नम्बर 7025/3085 रकवा 0.2150 हैक्टेयर वाकेग्राम जागीरपुरा पटवार हल्का बसई नबाब–बी, खाता संख्या 142 के खसरा नम्बर 7023/3072 रकवा 0.3288 हैक्टेयर वाकेग्राम जागीरपुरा पटवार हल्का बसई नबाब–बी, खाता संख्या 116 के खसरा नम्बर 3022 रकवा 0.2023 हैक्टेयर वाकेग्राम बसई नबाब–बी पटवार हल्का बसई नबाब–बी तहसील सैपऊ का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 08.06.2022 को दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादी के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड में दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व/2022/459 दिनांक 02.08.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान वादी अभिभाषक को सुना गया, तथा विद्वान अभिभाषक द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

...त विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा ...भाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम जागीरपुरा, बसई नबाब–बी पटवार हल्का बसई नबाब–बी तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामबाबू जाति ब्राह्मण सा0 बसई नबाब खातेदार।

| क्र0सं0 | ख0नं0 | रकवा | ग्राम |
|---|---|---|---|
| 1– | 7021/3071 | 0.1770 | जागीरपुरा |
| 2– | 7025/3085 | 0.2150 | जागीरपुरा |

योग किता–2 रकवा– 0.3920 हैक्टेयर

2–प्रवीण कुमार पुत्र माधौसिंह जाति त्यागी सा0 बसई नबाब खातेदार।

| क्र0सं0 | ख0नं0 | रकवा | ग्राम |
|---|---|---|---|
| 1– | 3022 | 0.2023 | बसई नबाब–बी |
| 2– | 3068 | 0.0253 | जगीरपुरा |

योग किता–2 रकवा–0.2276 हैक्टेयर

3–रेखा त्यागी पत्नी पवन कुमार हिस्सा 21/26 जाति त्यागी सा0 बसई नबाब, ममता देवी पत्नी राजेश कुमार हिस्सा 5/26 जाति त्यागी सा0 नगला हरलाल खातेदार।

| क्र0सं0 | ख0नं0 | रकवा | ग्राम |
|---|---|---|---|
| 1– | 7023/3072 | 0.3288 | जागीरपुरा |

योग किता–1 रकवा– 0.3288 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप जिला कलक्टर
सैपऊ
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

राजस्थान–सरकार

# डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उप जिला कलक्टर सैपऊ
व इजलास –दीपक सिंह खटाना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 49/2022

1–सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी बसई नबाब तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ..............वादी

**बनाम**

1–रेखा त्यागी पत्नी पवन कुमार 2–प्रवीण कुमार पुत्र माधौसिंह जातिगण त्यागी निवासीगण बसई नबाब तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 3–ममता देवी पत्नी राजेश कुमार जाति त्यागी निवासी नगला हरलाल तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

....................... प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ दीपक सिंह खटाना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री रामअवतार गौड़ एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री .......... .............को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम जागीरपुरा, बसई नबाब–बी पटवार हल्का बसई नबाब–बी तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामबाबू जाति ब्राह्मण सा0 बसई नबाब खातेदार।

| क्र0सं0 | ख0नं0 | रकवा | ग्राम |
|---|---|---|---|
| 1– | 7021/3071 | 0.1770 | जागीरपुरा |
| 2– | 7025/3085 | 0.2150 | जागीरपुरा |
| योग | किता–2 | रकवा– 0.3920 हैक्टेयर | |

2–प्रवीण कुमार पुत्र माधौसिंह जाति त्यागी सा0 बसई नबाब खातेदार।

| क्र0सं0 | ख0नं0 | रकवा | ग्राम |
|---|---|---|---|
| 1– | 3022 | 0.2023 | बसई नबाब–बी |
| 2– | 3068 | 0.0253 | जगीरपुरा |
| योग | किता–2 | रकवा–0.2276 हैक्टेयर | |

3–रेखा त्यागी पत्नी पवन कुमार हिस्सा 21/26 जाति त्यागी सा0 बसई नबाब, ममता देवी पत्नी राजेश कुमार हिस्सा 5/26 जाति त्यागी सा0 नगला हरलाल खातेदार।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

| ख0नं0 | रकवा | ग्राम |
|---|---|---|
| 7023 / 3072 | 0.3288 | जागीरपुरा |

योग किता–1 रकवा– 0.3288 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.09.2022 को जारी की गई।

(दीपक सिंह खटाना)
**उप जिला कलक्टर**
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ